भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2739

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

स्कूल बीच में छोड़ने की दरें और एनईपी 2020 के अंतर्गत छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के उपायों की प्रभावशीलता

2739 **श्री कपिल सिब्बल:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर स्कूल बीच में छोड़ने की दरों संबंधी नवीनतम आंकड़े क्या हैं, जिनमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के बीच राज्य-वार भिन्नता तथा प्रवृत्तियां शामिल हैं;

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाने हेतु प्रारंभ की गई व्यावसायिक शिक्षा, सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रमों तथा वित्तीय प्रोत्साहनों जैसे उपायों की क्या प्रभावशीलता रही है; और

(ग) क्या किसी राज्य ने वर्ष 2026 से प्रारंभ हुए नए शैक्षणिक सत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रारूपों अथवा संरचनात्मक परिवर्तनों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के कारण विद्यालय छोड़ने की दर में वृद्धि की सूचना दी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) के अनुसार, शिक्षा के प्रारंभिक (कक्षा III से कक्षा V), मिडिल (कक्षा VI से कक्षा VIII) और माध्यमिक (कक्षा IX से XII) स्तर पर वर्ष 2025-26 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा जेंडर-वार स्कूल छोड़ने की दर अनुलग्नक में हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है एवं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम

करने और नामांकन बढ़ाने के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उनका सुदृढ़ीकरण, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उनका स्तरोन्नयन तथा संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुकूल छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं की व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान किया जाता है।

सरकार ने पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों और अन्य शिक्षा संकेतकों की निगरानी करने के लिए विद्या समीक्षा केन्द्र (वीएसके) और स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (अपार) आईडी के कार्यान्वयन जैसी पहलें भी शुरू की हैं। वीएसके को शैक्षिक पहलों और उनके अंतिम परिणामों की निगरानी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई कार्यनीतियों के साथ विकसित किया गया है। वीएसके की एक प्रमुख विशेषता स्कूल छोड़ने की को रोकने के लिए छात्रों की निगरानी करना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने वाले छात्रों की निगरानी, अधिगम परिणामों की प्रगति और विभिन्न उपायों की वास्तविक समय में निगरानी करना है, जिसका उद्देश्य पहुंच में सुधार, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाना है। एपीएएआर, जो 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' कार्यक्रम का हिस्सा है, 12 अंकों की आजीवन छात्र आईडी है जो आधार से जुड़ी हुई है।

अनुलग्नक

"स्कूल बीच में छोड़ने की दरें और एनईपी 2020 के अंतर्गत छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के उपायों की प्रभावशीलता" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कपिल सिब्बल द्वारा पूछे गए दिनांक 12/08/2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

प्रारंभिक (कक्षा III से कक्षा V), मिडिल (कक्षा VI से कक्षा VIII) और माध्यमिक (कक्षा IX से XII) शिक्षा स्तर पर वर्ष 2025-26 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा जेंडर-वार स्कूल छोड़ने की दर

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूल छोड़ने की दर – समग्र								
	प्रारंभिक (कक्षा III से कक्षा V)			मिडिल (कक्षा VI से कक्षा VIII)			माध्यमिक (कक्षा IX से XII)		
	बालक	बालिकाएँ	कुल	बालक	बालिकाएँ	कुल	बालक	बालिकाएँ	कुल
भारत	2.0	1.6	1.8	3.8	3.4	3.6	8.3	5.7	7.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5	0.0	0.2	0.9	0.8	0.9	4.5	2.9	3.7
आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	5.7	7.8
अरुणाचल प्रदेश	2.7	1.7	2.2	4.3	4.3	4.3	11.2	10.2	10.7
असम	2.8	1.6	2.2	5.3	3.4	4.3	11.4	10.7	11.0
बिहार	8.5	7.2	7.9	10.0	8.0	9.0	6.7	7.0	6.8
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.6	3.3
छत्तीसगढ़	1.8	1.4	1.6	5.8	3.6	4.7	18.0	10.0	13.8
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	0.0	2.6	1.2	1.9	15.0	7.9	11.5
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	1.6	1.0	1.3	8.6	6.0	7.3
गोवा	0.2	0.2	0.2	1.3	1.0	1.1	7.4	3.9	5.7
गुजरात	0.7	0.8	0.7	4.0	5.6	4.8	14.3	10.5	12.5
हरियाणा	0.0	0.0	0.0	2.0	2.1	2.1	5.3	2.9	4.2
हिमाचल प्रदेश	0.6	0.6	0.6	1.4	1.3	1.3	5.7	3.7	4.8
जम्मू एवं कश्मीर	1.5	1.3	1.4	2.7	3.0	2.8	12.1	10.3	11.3
झारखंड	2.6	2.0	2.3	3.0	1.9	2.5	3.7	2.4	3.0
कर्नाटक	0.3	0.2	0.2	1.3	1.0	1.2	18.1	10.6	14.3
केरल	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	3.8	1.9	2.9
लद्दाख	4.5	0.7	2.6	5.5	2.1	3.7	15.6	14.1	14.8
लक्षद्वीप	3.3	0.0	1.7	4.0	2.7	3.4	1.3	3.4	2.3
मध्य प्रदेश	1.5	1.4	1.4	6.2	6.1	6.2	12.6	9.3	11.0
महाराष्ट्र	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	5.4	6.2
मणिपुर	7.5	6.6	7.1	2.3	1.3	1.8	5.0	4.7	4.8
मेघालय	6.8	4.5	5.7	8.1	5.1	6.5	7.4	3.2	5.0
मिजोरम	1.0	0.5	0.7	2.7	1.4	2.1	8.3	7.3	7.8
नागालैंड	3.3	2.0	2.7	4.9	3.5	4.2	12.1	9.9	11.0
ओडिशा	0.9	0.8	0.9	2.5	1.9	2.2	12.0	8.0	10.0
पुदुचेरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	2.5
पंजाब	0.8	0.8	0.8	2.0	1.5	1.8	5.7	3.9	4.8
राजस्थान	3.7	3.5	3.6	4.7	4.4	4.6	8.4	6.5	7.5
सिक्किम	1.9	0.0	0.4	2.8	0.8	1.8	13.9	7.7	10.7
तमिलनाडु	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	2.4	4.8
तेलंगाना	0.2	0.0	0.1	1.6	1.1	1.3	2.7	0.7	1.7
त्रिपुरा	0.6	0.3	0.5	3.7	2.7	3.2	9.7	8.3	9.0
उत्तर प्रदेश	2.3	1.7	2.0	6.6	6.8	6.7	7.2	5.4	6.4
उत्तराखंड	1.6	1.5	1.5	3.4	2.8	3.1	6.4	4.1	5.3
पश्चिम बंगाल	1.8	0.9	1.4	1.8	0.4	1.1	2.5	0.5	1.5

स्रोत: यूडाइज़+